-: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :-

पीठासीन अधिकारी :- देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :- 163/2024

उनवान

अमराव पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी ग्राम देराठू, नसीराबाद
-- वादी :-जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. रगलाल पुत्र लादू
2. सुखपाल पुत्र लादू समस्त जाति जाट निवासी ग्रम देराठूम, नसीराबाद
3. मैनेजर, आईसीआईसीआई बैंक शाखा देराठू, नसीराबाद
4. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

-- प्रतिवादीगण :- 1 से 3 अनुपस्थित, 4 जरियें राज. पैरोकार

वद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

-: निर्णय :- दिनांक :- 8/9/25

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम देराठू के खाता संख्या 18/18 किता 18 रकबा 8.66, 887/1 किता 3 रकबा 1.65 व खसरा नम्बर 6572/7338 रकबा 0.15 की आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की खातेदारी काश्तकारी की है। उक्त आराजी पर वादी का नाम अमराव पुत्र लादूराम के स्थान पर त्रुटिवश अमरा पुत्र लादू अंकित कर दिया, जिसकी पुष्ठि खाता संख्या 1465/1190 से होती हैं। वादी का वास्तविक व सही नाम अमराव पुत्र लादूराम है जो परिवार राशकार्ड व आधार कार्ड में भी अंकित है। अतः अराजी मुतनाजा पर वादी का सही नाम अमराव पुत्र लादूराम अंकित किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 प्रकरण मे अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा पर वादी का नाम अमरा पुत्र लादू है। खाता संख्या 1465 में अमराव पुत्र लादूराम वगै. दर्ज है। वादी खाता संख्या 1465 के इन्द्राज, राशन कार्ड व आधार कार्ड के आधार पर आराजी मुतनाजा पर अपना नाम अमराव पुत्र लादूराम कराना चाहता है। प्रकरण में भूमि खातेदारी होने के कारण राजहित प्रभावित नही होता है। नियमानुसार दुरूस्ती करना उचित है।

प्रकरण में निम्न तनकी कायम की गई :-
1. आया वादी आराजी मुतनाजा पर दुरूस्ती का अधिकारी है ?

2. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र के समर्थन में राजस्व अभिलेख व वादी के पहचान दस्तावेज पेश किये।व साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:37:01 IST
Reason: SelfAttested

--2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

तनकी संख्या 1 :–

ग्राम देराठू के खाता संख्या 18/18 किता 18 रकबा 8.66, 887/1 किता 3 रकबा 1.65 व खसरा नम्बर 6572/7338 रकबा 0.15 की आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 2 की खातेदारी काश्तकारी की है। उक्त आराजी पर वादी का नाम अमरा पुत्र लादू दर्ज है। हैं। वादी का वास्तविक व सही नाम अमराव पुत्र लादूराम है जो परिवार राशन कार्ड व निर्वाचन मतदाता परिचय पत्र में भी अंकित है। राज. पैरोकार ने भी वाद का खण्डन नही कर जवाब में निवेदन किया है कि खाता संख्या 1465 में अमराव पुत्र लादूराम वगै. दर्ज है। वादी खाता संख्या 1465 के इन्द्राज, राशन कार्ड व आधार कार्ड के आधार पर आराजी मुतनाजा पर अपना नाम अमराव पुत्र लादूराम कराना चाहता है। प्रकरण में भूमि खातेदारी होने के कारण राजहित प्रभावित नही होता है। नियमानुसार दुरूस्ती करना उचित है। अमराव को ग्राम में बोलचाल की भाषा में अमराव कहा जाता है इस कारण उक्त त्रुटि सद्भाविक है। वादी का नाम अमरा पुत्र लादू के स्थान पर अमराव पुत्र लादूराम अंकित करने से प्रतिवादीगण व सरकार के हित प्रभावित नही होते है।

उक्तानुसार ग्राम देराठू के खाता संख्या 18/18 किता 18 रकबा 8.66, 887/1 किता 3 रकबा 1.65 व खसरा नम्बर 6572/7338 रकबा 0.15 की आराजी पर वादी का वाद पत्र इस आशय से **"स्वीकार"** किया जाता है कि तहसीलदार नसीराबाद आराजी मुतनाजा पर वादी के नाम की जॉच कर त्रुटि पाये जाने पर वादी का नाम अमराव पुत्र लादूराम दुरूस्त करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:37:01 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

अमराव बनाम रंगलाल

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 163/2024
पेश करने की दिनांक – 08.08.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम देराठू के खाता संख्या 18/18 किता 18 रकबा 8.66, 887/1 किता 3 रकबा 1.65 व खसरा नम्बर 6572/7338 रकबा 0.15 की आराजी पर वादी का वाद पत्र इस आशय से "**स्वीकार**" किया जाता है कि तहसीलदार नसीराबाद आराजी मुतनाजा पर वादी के नाम की जॉच कर त्रुटि पाये जाने पर वादी का नाम अमराव पुत्र लादूराम दुरूस्त करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 8 माह 9 सन् **2025** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.10.13 16:37:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद